BCPPB/5000/14-11-2022 AF-4

# हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

प्रेषक :

सचिव,
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,
भिवानी–127021
Email:- asenr@bseh.org.in

सेवा में,

प्राचार्य/मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका,
ADAM School,
Dariawala (Sirsa)
Code- 17149

क्रमांक 8479–8484 /सम्बद्धता दिनांक 17/08/2026

## स्थायी सम्बद्धता पत्र

महोदय/महोदया,

आपकी संस्था को 10th कक्षा तक Director School Education Haryana Panchkula के आदेश क्रमांक PSR/02023989 दिनांक 14-02-2025 द्वारा दी गई स्थायी मान्यता के आधार पर स्थायी सम्बद्धता बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है :–

1. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड/शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही पढ़ाई जायें।
2. संस्था परीक्षाओं के संचालन के लिए अपने स्कूल का भवन/फर्नीचर एवं अपने स्टाफ की सेवाएं बोर्ड को उपलब्ध करवाएगी। बोर्ड द्वारा उन्हें भवन/फर्नीचर का किराया आदि नहीं दिया जायेगा।
3. बोर्ड द्वारा बनाये गये पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं से सम्बन्धित जो निर्देश समय–समय पर जारी किये जाते हैं, संस्था उनकी दृढ़ता से पालना करेगी।
4. संस्था बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोर्ड को पूर्ण सहयोग देगी, ताकि नकल/प्रतिरूपेण मामलों एवं अन्य अनियमितताओं पर पूर्ण नियन्त्रण किया जा सके।
5. संस्था बोर्ड द्वारा संचालित मुक्त विद्यालय परीक्षा एवं इससे सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र को संचालित करने में पूर्ण सहयोग देगी।
6. संस्था द्वारा हरियाणा एजुकेशन कोड की धारा 28 क्रम संख्या 1 से 21 के अनुसार सभी प्रकार का रिकार्ड एवं रजिस्टर तैयार करने की पालना की जाये तथा हरियाणा एजुकेशन कोड 2013–14 के CH.12 बिन्दु 186 की पालना करते हुए दाखिले के समय उम्र का ध्यान अवश्य रखा जाये।
7. संस्था में कार्यरत स्टाफ की नियुक्ति हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार हो।
8. परीक्षार्थियों का विद्यालय में बैठने के लिए समुचित प्रबन्ध करना होगा।
9. संस्था में पढ़ाये जाने वाले विज्ञान विषयों के लिए उपयुक्त प्रयोगशाला तथा वांछित उपकरणों का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित विज्ञान की प्रायोगिक पुस्तिका ही विद्यार्थियों को लगवाई जाये।
10. बोर्ड द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने के पश्चात कभी भी विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है। जिसमे विद्यालय पूर्ण सहयोग करेगा तथा टीम द्वारा रिकार्ड मांगने पर उपलब्ध करवाना होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त शिक्षा विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णय भी आपकी संस्था पर लागू होंगे तथा आपकी संस्था द्वारा इनकी पालना की जायेगी।

यदि किसी समय यह पाया गया कि प्रबन्धक/विद्यालय/महाविद्यालय सम्बद्धता सम्बन्धी शर्तो का उल्लंघन कर रहे हैं तो सम्बद्धता विनियमों के अन्तर्गत जुर्माना इत्यादि लगाते हुए सम्बद्धता वापिस ले ली जायेगी।

अधीक्षक (सम्बद्धता)
कृते सचिव